याचिका क्र. 09/06

<u>मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल</u>

श्री के.सी. गुप्ता, प्रबध संचालक,
एम.पी. स्टेट को–ऑपरेटिव — आवेदक
डेयरी फेडरेशन लिमिटेड. भोपाल.

<u>विरूद्ध</u>

1. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर. — अनावेदक
2. सी.एम.डी., पूर्व क्षेत्र, जबलपुर
3. सी.एम.डी., पश्चिम क्षेत्र, इन्दौर,
4. सी.एम.डी., मध्य क्षेत्र, भोपाल.

: <u>आदेश</u> :

(दिनाँक 4 अप्रैल, 2006 को पारित)

विषय : एमपीसीडीएफ के दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र संयंत्रों एवं पशु आहार संयंत्रों का विद्युत टैरिफ व्यवसायिक श्रेणी के स्थान पर कृषि श्रेणी (कृषि दर) करने बावत् ।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री मनी जैन, अभिभाषक उपस्थित ।

अनावेदक श्री जाहिद खान, एडीशनल ई.ई एवं सयैद शाहिद अली, ओ.ए. मध्य क्षेत्र उपस्थित ।

याचिकाकर्ता श्री के.सी. गुप्ता, प्रबंध संचालक, भोपाल द्वारा यह याचिका दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र संयंत्रों एवं पशु आहार संयंत्रों का विद्युत टैरिफ व्यवसायिक श्रेणी के स्थान पर कृषि श्रेणी (कृषि दर) करने के संबंध में प्रस्तुत की गई है ।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार मध्यप्रदेश कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल सहकारिता पर आधारित राज्य शासन का एक सहकारी उपक्रम है । इसका मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के दुग्ध उत्पादकों को, उत्पादित दूध का उचित मूल्य दिलाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना तथा शहरी व अर्ध शहरी उपभोक्तओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना है । याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि टैरिफ शेड्यूल प्लान 5.2 में डेयरी को कृषि श्रेणी में रखा जाना मान्य किया गया है, परन्तु मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल दिये गये संघों एवं अधीनस्थ इकाइयों के लिये औद्योगिक एवं व्यावसायिक दर के टैरिफ से बिलिंग किया जा रहा है जो अनुचित व अवैद्य है । इससे दुग्ध संघ को अधिकाधिक विद्युत व्यय वहन करना पड़ता है । इसका प्रभाव उत्पादक किसानों पर भी पड़ रहा है ।

3. अतः सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा आयोग से यह निवेदन किया गया कि दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र संयंत्रों एवं पशु आहार संयंत्रों का विद्युत टैरिफ व्यसायिक श्रेणी के स्थान पर कृषि

श्रेणी (कृषि दर) हेतु निर्धारित टैरिफ शेड्यूल के अनुसार बिलिंग करने हेतु मण्डल को निर्देशित किया जाए ।

4. आज सुनवाई के दौरान आवेदक को श्रवण किया गया । प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने व आवेदक को श्रवण करने के उपरांत, आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007 हेतु दिनांक 31.3.2006 को टैरिफ आदेश पारित किया है । दिनांक 31.3.2006 को जारी टैरिफ अनुसार दुग्ध संघ/शीतकेन्द्र संयंत्रों एवं पशु आहार संयंत्रों का विद्युत टैरिफ व्यवसायिक श्रेणी के स्थान पर प्रथक श्रेणी ग्रुप सिंचाई एवं अन्य कृषि उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत कर टैरिफ निर्धारित किया गया है, जिसे टैरिफ शेड्यूल एच.वी. – 5 के अनुसार ही बिलिंग किया जायेगा । उक्त टैरिफ माह अप्रैल, 2006 से लागू होगा । इस टैरिफ अनुसार 33 केवीए (एच.टी. कनेक्शन) पर के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 3 रू. ऊर्जा प्रभार एवं रूपये 130 प्रति के.व्ही.ए. स्थायी प्रभार के हिसाब से ही बिलिंग की जावेगी । टैरिफ आदेश की प्रति भी आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । गत् टैरिफ आदेश का पुनरीक्षण समयबाधित होने से विचार योग्य नहीं है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार आदेश पारित ।

(आर. नटराजन) सदस्य (इकॉनामिक)	(डी. रायबर्धन) सदस्य (अभि.)	(पी.के. मेहरोत्रा) अध्यक्ष.